

प्रेस- विज्ञप्तिथाना- निजामाबादचोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्त चोरी के माल के गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 30/31.07.22 की रात मे चोरो द्वारा ग्राम निकामुद्दीनपुर में खड़ी डीसीएम ट्रक नं0 HR 55 AB 8969 डीजल चोरी करते हुये पकडे जाने तथा छुड़ाकर भाग जाने के सम्बन्ध मे वादी सुरेंद्र सिंह पुत्र ठाकुर सिंह ग्राम जगदीशपुर थाना अमेठी जनपद अमेठी द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 330/22 धारा-379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत काराया गया था। जिसमें प्रकाश में आये अभियुक्तगण राजपत पुत्र सतई सा0 कुशलगाव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ तथा राकेश पुत्र सुरेन्द्र सा0 भोरमउ थाना फूलपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 01.08.2022 को उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराह फरिहा चौराहे पर मौजूद थे कि मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन व मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्त राजपत पुत्र सतई सा0 कुशलगाव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ तथा राकेश पुत्र सुरेन्द्र सा0 भोरमउ थाना फूलपुर आजमगढ़ को मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराही कर्म0गण द्वारा खुदादादपुर के पास से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से चुराई गई डीजल में से 20 लीटर डीजल बरामद की गई शेष डीजल अभियुक्तों द्वारा बेच दिया जाना बताया गया। अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 330/22 धारा-379/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजपत पुत्र सतई सा0 कुशलगाव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. राकेश पुत्र सुरेन्द्र सा0 भोरमउ थाना फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी- चोरी गये 20 लीटर डीजल बरामद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 113/19 धारा-308/323/504/506 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़ बनाम राजपत पुत्र सतई सा0 कुशलगाव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 206/2010 धारा-363/366 भादवि व धारा 3(1) 11 एससी एसटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 222/2020 धारा-379/419/420 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ बनाम राकेश पुत्र सुरेन्द्र सा0 भोरमउ थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह HC शिवधन यादव का0 मकरध्वज थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 31.07.2022 को श्री देवा गुप्ता पुत्र श्री हरिकिशुन गुप्ता सा0 हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ मो0नं0 90XXXXXX थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के माता श्री मीना देवी के बक्से का ताला तोड़कर उसमे रखे सोने का झुमका, सोने की अंगुठी, सोने की नथुनी, मंगलसुत्र तथा चांदी करधनी दो जोड़ी पायल व 15000/-रु0 नगद चोरी कर लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 298/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग बइस्तवाह 1.सोनम उर्फ मुस्कान (किरायेदार) 2.आरजू पत्नी अबुसाद सा0 जीयनपुर आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 01.08.2022 को उ0नि0 कमलनयन दूबे मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1.सोनम उर्फ मुस्कान (किरायेदार) 2.आरजू पत्नी अबुसाद सा0 जीयनपुर आजमगढ़ जो स्टेशन की तरफ गयी है तत्काल उ0नि0 मय हमराह बल व वादी मुकदमा तथा उसकी पत्नी को साथ लेकर तुरन्त रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां टिकट घर के पास खड़ी दो महिलाओं को घेर कर रोक लिया गया तथा महिला आरक्षी दिव्या धवन की अभिरक्षा मे कर उनसे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनम उर्फ मुस्कान पुत्री निजामू सा0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष तथा आरजू पत्नी अबुशाद सा0 जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष बताया। जिनसे उनके मकान मालिक देवा गुप्ता के घर मे हुई चोरी के सम्बन्ध मे पूछा गया तो इस सम्बन्ध मे किसी जानकारी का होना नही बताया। जिस पर वादी व उसकी पत्नी द्वारा कहने पर कि इन्ही लोगो ने हमारे घर पर चोरी की है हमे पूर्ण विश्वास है जिस पर महिला आरक्षी दिव्या धवन से उनके द्वारा लिये गये हैण्ड पर्स को कब्जा पुलिस लेकर अलग अलग खोलकर देखा गया तो सोनम द्वारा लिये गये हैण्ड पर्स के अन्दर से एक जोड़ी विछुआ एक करधनी सफेद धातु तथा नाक की नथुनी, एक अंगुठी एक लाकेट टुटा हुआ पीली धातु, आधार कार्ड श्रीमती मीना पत्नी हरिकिशुन गुप्ता निवासी

हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ नं0 889447873231 बरामद 6350/रु0 जिसमे 500 रु के 12 नोट 100 रु के तीन नोट व एक नोट 50 रु के बरामद हुआ। जबकि आरजू द्वारा लिये गये हैण्ड पर्स से दो जोड़ी पायल सफेद धातु, एक जोड़ी कान का झुमका पीली धातु व नगद 7800/ रु0 जिसमे 500 रुपये के 13 नोट 200 रु के 6 नोट 10 रु के आठ नोट चार नोट पांच रुपये के व पासबुक काशी गोमती संयुक्त ग्रामिण बैंक बचत खाता नं0 111282020350702, श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 हरिकिशुन साहू निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ बरामद हुआ। अतः बरामशुदा माल को कब्जा पुलिस में लेकर सफेद पारदर्शी डिब्बे में सील सर्वमुहर किया गया तथा अभियुक्तागण को रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से समय 11.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0 298/2022 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता

1.सोनम उर्फ मुस्कान पुत्री निजामू निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

2.आरजू पत्नी अबूसाद निवासी जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मुकदमा उपरोक्त।

बरामदगी

अभियुक्ता सोनम के पास से एक जोड़ी विछुआ एक करधनी सफेद धातु तथा नाक की नथुनी, एक अंगुठी एक लाकेट टुटा हुआ पीली धातु, आधार कार्ड श्रीमती मीना पत्नी हरिकिशुन गुप्ता निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ नं0 88xxxxxxxxx बरामद 6350/रु0 जिसमे 500 रु के 12 नोट 100 रु के तीन नोट व एक नोट 50 रु के बरामद हुआ।

अभियुक्ता आरजू द्वारा लिये गये हैण्ड पर्स से दो जोड़ी पायल सफेद धातु, एक जोड़ी कान का झुमका पीली धातु व नगद 7800/ रु0 जिसमे 500 रुपये के 13 नोट 200 रु के 6 नोट 10 रु के आठ नोट चार नोट पांच रुपये के व पासबुक काशी गोमती संयुक्त ग्रामिण बैंक बचत खाता नं0 111xxxxxxxxxx श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 हरिकिशुन साहू निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ बरामद हुआ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी मूसेपुर हे0कां0 मूलचन्द्र .हे0कां0 अनिल पाठक म0कां0 दिव्या धवन थाना सिधारी आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

प्रकाश में आये गांजा तस्कर अभियुक्त कमला गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 29.07.2022 को स्वाट द्वितीय प्रभारी गजानन्द चौबे, उ0नि0 श्री प्रकाश शुक्ला मय हमराह, प्र0नि0 सिधारी स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल उ0नि0 कमल नयन दूबे मय हमराह के द्वारा राकेश यादव उर्फ सोनू यादव निवासी सलारपुर के घर के अहाते में भूसे की कटकट वाले कमरे में से नाजायज गांजा के कुल 49 पैकेट जिनका वजन लगभग 125 किलोग्राम के साथ अभियुक्त सूर्यभान यादव पुत्र स्व0 बालचन्द्र यादव निवासी ग्राम अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, रामनयन पुत्र समई राम निवासी मंगरांवा रायपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़, शिवप्रकाश विश्वकर्मा उर्फ छोटू पुत्र श्यामलाल निवासी कमरूद्दीनपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 293/22 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

उक्त मुकदमें में अभियुक्त कमला पुत्र स्व0 राम गरीब ग्राम जमुहाई थाना सरायख्वाजा जिला जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 01.08.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त कमला पुत्र स्व0 राम गरीब ग्राम जमुहाई थाना सरायख्वाजा जिला जौनपुर को मुखबिर की सूचना पर नरौली तिराहे से समय 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं (कमला), राकेश यादव उर्फ सोनू निवासी सलारपुर, परवेज निवासी जहानागंज, सूर्यभान यादव निवासी जहानागंज व राम नयन निवासी मगरावा गम्भीरपुर के साथ विभिन्न वाहनो से जगदलपुर उड़ीसा से भारी मात्रा मे गांजा लाते थे जिसे सोनू यादव के घर के भुसौला मे छिपाकर रखते थे तथा मोबाइल से वार्ता कर के गांजे को बलिया मऊ जौनपुर आदि जनपदो में बेचकर रूपये कमाते थे मेरी बातचीत रामनयन से फोन से होती रहती थी तथा अपनी पहचान छिपाने के लिये आनन्द गुप्ता के नाम से बात करता था। सलारपुर जब गांजा पकडा गया तो राकेश उर्फ सोनू मौके से भाग गया था जिसने मुझे बताया कि तुम्हारे बारे में पुलिस वाले नही जानते हैं इस लिये तुम कचेहरी जाकर पकडे गये साथियो की जमानत का प्रबन्ध करो बिक्री मे मिले रूपयों में मुझे भी हिस्सा मिलता था। हमारे साथ गांजे को लाने व बिक्री व्यापार करने में शिवप्रकाश विश्वकर्मा उर्फ छोटू निवासी कमरूद्दीनपुर थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर भी शामिल था।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 293/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

कमला पुत्र स्व0 राम गरीब निवासी जमुहाई थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र 48 वर्ष
आपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह कां0 अभय सिंह कां0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़

थाना अतरौलिया

किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- अभियुक्त सुजीत पुत्र रामसरन राम निवासी गंगापुरखास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ वादी की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बना कर शोषण किया गया। जिससे पीड़िता 3 महीने से गर्भवती है। जब वादी इस बात की जानकारी अभियुक्त से लेना चाहा तो अभियुक्त वादी को लाठी डण्डे से लैस होकर गाली गुप्ता देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया और धमकी दिया गया कि थाने पर जाओगे तो हम देख लेंगे। जिसके संबन्ध थाना स्थानीय पर दिनांक 30.07.2022 को मु0अ0सं0 264/22 धारा 376/352/504/506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ बनाम सुजीत उपरोक्त के पंजीकृत किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 01.08.22 को प्रभारी निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा सूचना मिली कि मुकदमे से संबन्धित अभियुक्त रवि सिंघानिया पुत्र रामवृक्ष निवासी बढया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, सौ शैय्या अस्पताल अतरौलिया के पास से समय 07.40 AM पर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 264/22 धारा 376/352/504/506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. रवि सिंघानिया पुत्र रामवृक्ष निवासी बढया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 264/22 धारा 376/352/504/506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया, आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 98/16 धारा 354(क)/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय 2. का0 उमेश सिंह 3. का0 अमित जायसवाल, 4. का0 मो0 रिजवान 5. म0का0 नेहा तिवारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़